



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 8, 2016/आश्विन 16, 1938

No. 365]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 8, 2016/ASVINA 16, 1938

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

सं.भा.आ.प/34(41)/2016-मेडि./131017.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

- 1 (i) इन विनियमों को "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली (संशोधन), 2016" कहा जाए।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली", 1997 पर में परिशिष्ट 'च' की 8वीं पंक्ति में शैक्षिक सत्र का प्रारंभण 13 सितंबर पढ़ा जाएगा।

डॉ. रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी)
[विज्ञापन III/4/असा./252 (100)]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली नामतः "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" भारत के राजपत्र के भाग-III, खंड 4 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 04 मार्च, 1997 की अधिसूचना के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003, 01.03.2004, 20.10.2008, 15.12.2008, 22.12.2008, 25.03.2009, 19.04.2010, 07.10.2010, 21.12.2010, 15.02.2012, 29.12.2015 और 05.08.2016 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA
AMENDMENT NOTIFICATION
New Delhi, the 21st September, 2016

No. MCI-34(41)/2016-Med./131017.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Regulations on Graduate Medical Education, 1997”, namely: -

1. (i) These Regulations may be called the “Regulations on Graduate Medical Education (Amendment), 2016”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the “Regulations on Graduate Medical Education, 1997”, in the 8th row of Appendix ‘F’, the commencement of academic session shall be read as 13th September.

DR. REENA NAYYAR, Secy. I/c

[ADVT.-III/4/Exty./252(100)]

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Regulations on Graduate Medical Education, 1997” were published in Part – III, Section 4 of the Gazette of India vide Medical Council of India notification dated 4th March, 1997, and amended vide MCI notifications dated 29/05/1999, 02/07/2002, 30/09/2003, 16/10/2003, 01/03/2004, 20/10/2008, 15/12/2008, 22/12/2008, 25/03/2009, 19/04/2010, 07/10/2010, 21.12.2010, 15/02/2012, 29/12/2015 & 05/08/2016.